(07) श्री अशोक बटवाल एड०

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
36/2021	प्रभाती देवी / राज़ 225 RTAct	
22/1/21	कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई | पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे | अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित | अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गयी | अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | आदेश जैर अपील के अवलोकन से यह स्पष्ट है की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश पारित कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 22/01/2021 नियत की है, जिसके विरुद्द अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है जबकि अपीलार्थी के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मौजूद है किन्तु ऐसा नही कर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशी तक के लिये पारित अन्तरिम आदेश जैर अपील को सीधे ही इस अपील के माध्यम से चुनोती दी गयी है जो न्यायसंगत प्रतीत नही होता है एवं प्रकरण की इस स्टेज पर अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई युक्तियुक्त कारण जाहिर नही किया गया है जिससे की अन्तरिम आदेश जैर अपील में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित हो | अत: अपील अपीलार्थी आधारहीन प्रतीत होने से ख़ारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय को न्यायहित में यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 (क़) की पालना करते हुये 30 दिवस में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर निस्तारण करे | तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो | आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया | (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)